राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक :– प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015 जयपुर, दिनांक :– 26.05.2016

संशोधित बैठक सूचना

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.05.2016 द्वारा संशोधित करते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की गत वर्ष एवं चालु वित्तीय वर्ष – 2016–17 में माह अप्रेल, 2016 की प्रगति की समीक्षा हेतु माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 30–31 मई, 2016 (दो दिवस) को प्रातः 10:00 बजे से सायः 6:00 बजे** तक इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) की बैठक आयोजित की गई है। निर्देशानुसार बैठक में निम्न पर चर्चा की जावेगी :–

(अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, केवल दिनांक 30 मई, 2016 को ही भाग लेगें।)

1. विभिन्न योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा योजनावार/ब्लॉकवार की जावेगी। ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा IWMS पर दर्शाई गयी प्रगति के आधार पर होगीं। अप्रारम्भ कार्यो, अपूर्ण कार्यो, यूसी/सीसी पेन्डिंग के आधार पर की जावेगी।
2. वीडियों कॉन्फ्रेन्स दिनांक 20.04.2016 की अनुपालना दिनांक 23.05.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करे।
3. गत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 13–14 जुलाई, 2015 की कार्यवाही विवरण की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 23.05.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त प्रभारी अधिकारियों, मुख्यालय से निवेदन है कि आप अपने विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं में विचारणीय बिन्दु एवं एजेण्डा नोंट तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला परिषद, को भिजवावें एवं एक प्रति इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें साथ ही समस्त योजना प्रभारी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेने का श्रम करें।

दिनांक 30 मई, 2016 को पंचायतीराज विभाग एवं दिनांक 31 मई, 2016 को ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर समीक्षा की जायेगी।

बैठक एजेण्ड़ा एवं कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

30 मई, 2016 (पंचायतीराज विभाग)

समय	विषय–वस्तु	संदर्भ व्यक्ति
9:00 AM to 9:30 AM	रजिस्ट्रेशन	मोनिटरिंग एण्ड मूल्यांकन टीम द्वारा
9:30 AM to 10:15 AM	संबोधन उद्‌बोधन	माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि
10:30 AM to 01:30 PM	पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा स्वच्छ भारत अभियान	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग निदेशक, सीसीडीयू, पं.राज
01:30 PM to 02:30 PM	लंच ब्रेक	
02:30 PM to 6:00 PM	जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग की योजनाएं	निदेशक, जलग्रहण एवं भूसरंक्षण विभाग

31 मई, 2016 (ग्रामीण विकास विभाग)

9:30 AM to 1:30 PM	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण	आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा निदेशक, सामाजिक अकेक्षण
1:30 PM to 2:30 PM	लंच ब्रेक	
2:30 PM to 5:00 PM	ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा	शासन सचिव, ग्रामीण विकास समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय
5:00 PM to 6:00 PM	मुख्य कार्यकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सामूहिक चर्चा एवं फीड़बैक	

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
4. अति. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महानरेगा।
6. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी/मो. एवं मू./महानरेगा।
7. अति. मुख्य अभियन्ता (एसएपी), ग्रामीण विकास।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/श्रीयोजना।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है **कि उक्त बैठक में जिला स्तर से किसी भी योजना प्रभारी/कार्मिक को साथ नहीं लेकर आवें।**
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है कि केवल दिनांक 30.05.2016 को ही भाग लेना सुनिश्चित करें।
11. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
12. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अपने साथ-साथ पंचायतीराज विभाग के समस्त योजना प्रभारी को तद्नुसार सूचित करावें।
13. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड़ करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)